बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-11/आ०4-1039/2026- 2054 पटना, दिनांक- 26/10/2026

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के पत्रांक-5187, दिनांक-25.10.2026 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री मुन्ना कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम, प्रशाखा-कोचस के विरूद्ध संवेदक/एजेंसी मेसर्स उमेश कन्स्ट्रक्शन से सार्वजनिक रूप से रिश्वत मांगने का विडियो सोशल मिडिया पर वायरल होने के कारण विभाग की छवि धूमिल हो रही है। प्राप्त प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन तथा जलापूर्ति योजना के तहत अधिष्ठापित टैंक सफाई के कार्य में भी शिथिलता जा रही है। श्री कुमार द्वारा 172 अदद टैंक सफाई के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 81 अदद टैंक की सफाई करवाई गयी है तथा उसे MIS पोर्टल पर अपलोड किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से की गयी जाँच में भी कोचस प्रशाखा अन्तर्गत 37 योजनाएँ बंद पाई गयी थी, जिसमें से अब तक मात्र 35 योजनाओं को चालू कर ही MIS पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विभागीय MIS पोर्टल पर कनीय अभियंताओं के लिए जारी राज्यस्तरीय रैंकिंग में श्री कुमार का 220वाँ स्थान है, जिससे स्पष्ट है कि उनके स्तर से विभागीय कार्यो में रूचि नहीं ली जा रही है।

02. जिला पदाधिकारी, सासाराम के पत्रांक-3758, दिनांक-26.10.2026 द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके आदेश ज्ञापांक-3751, दिनांक-25.10.2026 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम-2 की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय समिति के ज्ञापांक-190/भु०सु०-2, दिनांक-26.10.2026 द्वारा मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, सासाराम को उपलब्ध कराया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम द्रष्टया उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्री मुन्ना कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा, कोचस की रिश्वत संबंधी बातों की पुष्टि होती है।

03. CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में शिकायतें लंबित रखने, विभागीय लक्ष्य के अनुरूप टैंक सफाई के कार्य में शिथिलता बरतने एवं कोचस प्रशाखा अन्तर्गत योजनाएँ बंद पाये जाने से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के अनुसार जलापूर्त्ति योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम-2 की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें विभागीय कार्य के निष्पादन में संवेदक/एजेन्सी से रिश्वत की राशि मांगे जाने संबंधी तथ्य को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित किया गया है, से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार का आचरण सरकारी सेवक हेतु निर्धारित माप-दण्डों के प्रतिकूल है।

04. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री कुमार प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत श्री कुमार को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित स्थिति में श्री मुन्ना कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम, प्रशाखा-कोचस को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

05. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ रहेगा।

06. निलंबन के दौरान श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०4-1039/2026- 2054 पटना, दिनांक- 26/10/2026

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, रोहतास(सासाराम)/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रोहतास(सासाराम)/पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०4-1039/2026- 2054 पटना, दिनांक- 26/10/2026

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना एवं पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, सासाराम एवं पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम/प्रशाखा पदाधिकारी-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री मुन्ना कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम, प्रशाखा-कोचस/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)